नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12-10-18 वादीगण नारायणलाल वगैरह के प्रार्थना पर पत्रावली आज पेशी में लाई गई। वादीगण व प्रतिवादी नं० 1, 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत हुआ। राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-10-18 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
	22-10-18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बरूए राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2014	13.2.2014	22-10-18

1. नारायणलाल पुत्र देवीराम, रैगर, रैगर मोहल्ला, गंगापुर सिटी
2. अमृलाल पुत्र देवीराम, रैगर, रैगर मोहल्ला, गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री श्रीचन्द पत्नि नामालुम, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
2. रामप्यारी पत्नि स्व0श्रीचन्द, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
3. रामजीलाल पुत्र मूल्या, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
4. कंचन पत्नि स्व0 किशनलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
5. राजेन्द्र पुत्र स्व0 किशनलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
6. लाला पुत्र स्व0 किशनलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण नारायणलाल वगैरा ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चूली में स्थित साबिक ख0नं0 484 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा में से 1/4 हिस्से की भूमि 1 बीघा 9 विस्वा को वादीगण के पिता देवीराम पुत्र ऊदाराभ रैगर ने दिनांक 23.5.81 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रू0 3000/— में भूमि के तत्कालीन खातेदार श्रीचन्द पुत्र गंगाविशन एवं किशनलाल, रामजीलाल पिता मूल्या जाति चमार निवासी गंगापुर सिटी से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं तभी वे खरीदी गई भूमि पर वादी के पिता ने काबिज रहकर अपने जीवनकाल तक वादीगण के साथ उक्त भूमि में काश्त की। वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 10.12.99 के बाद वादीगण बहैसियत खातेदार उपरोक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। साबिक ख0नं0 484 के भू—प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 कायम किए गए हैं। वादीगण इस भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। भूमि खरीद के बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी परन्तु खरीद के बाद से ही भूमि पर वादीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

काबिज हैं। भूमि की सीमाऐं इस प्रकार हैं:– उत्तर में भूमि झूमरया, उदयराम, दक्षिण में नाई की झील, पूर्व में भूमि मनस्या बैरवा एवं पश्चिम में भूमि छोट्या मूल्या की है। वादीगण उक्त भूमि को बैंक मे रहन रखकर लोन लेना चाहते थे। दादी संख्या 2 दिनांक 3.2.2014 को भूमि की रजिस्ट्री लेकर बैंक अधिकारियो से मिला तो बैंक अधिकारियो ने भूमि की जमाबंदी लाने को कहा। जमाबंदी की नकल लेने पर वादीगण को प्रथम बार जानकारी हुई कि वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज ही नही हुई है। वादीगण दिनांक 4.2.2014 को प्रतिवादीगण से मिले एवं वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज कराने मे सहयोग करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। अब प्रतिवादीगण की नीयत मे फर्क आ गया है और वे भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर ऊतारू है जबकि वादग्रस्त भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.5.81 के अनुसार वादीगण काबिज काश्त है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 ग्राम चूली मे वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में श्रीचंद पुत्र गंगाविशन का हिस्सा 1/4 हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त मे वादीगण को न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि 23.5.81 को श्रीचंद, किशनलाल, रामजीलाल ने वादीगण के पिता देवीराम के हक मे कोई विक्रय पत्र रजिस्टर्ड नही करवाया । यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र है तो वह फर्जी है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसमे प्रतिवादीगण का भी हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण के हिस्से को बेचान करने का श्रीचंद व किशनलाल को कोई अधिकार नही था। इसलिए वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 23.5.81 मे वर्णित भूमि के बने नवीन ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764

उप जिला कलेक्टर
गंगापर सिटी

रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 ग्राम चूली मे प्रतिवादीगण के हिस्से तक विक्रय पत्र प्रभावशून्य घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को उनके हिस्से तक खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया एवं उनके वकील उनकी ओर से जबाब भी प्रस्तुत नही करना चाहते है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम चूली मे स्थित हाल ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 के 1/4 हिस्से के वादीगण खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है। ––वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 ग्राम चूली के 1/4 हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्ति को रहन वय व किसी भी तरह से हस्तानान्तरित नही करे तथा वादीगण के 1/4 हिस्से की कब्जे काश्त की उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण बाधा पैदा नही करे। न अन्य से करावे। ––वादीगण

3. आया उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसे श्रीचंद व किशनलाल को प्रतिवादीगण के हिस्से को बेचान करने का कोई अधिकार नही था। इसलिए प्रतिवादीगण उनके हिस्से तक उक्त विक्रय तारीखी 23.5.1981 को प्रभाव शून्य घोषित कराने के अधिकारी है। ––प्रतिवादी 1, 2

4. आया विक्रय पत्र तारीखी 23.5.1981 को प्रभावशून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। ––वादीगण

5. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल असल विक्रय पत्र दिनांक 23.5.1981, नकल जमाबंदी संवत 2066 – 2069, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, मृत्यु प्रमाण पत्र देवीराम प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

दिनांक 12.10.2018 को वादीगण नारायण लाल व प्रभूलाल तथा प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रा पुत्री श्रीचंद व प्रतिवादी संख्या 2 रामप्यारी पत्नी श्रीचंद ने न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया । राजीनामे मे पक्षकारो ने अंकित किया है विवादित भूमि साबिक ख.न0 484 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा मे से 1 बीघा 9 विस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र देवीराम पुत्र उदाराम निवासी गंगापुर सिटी को 23.5.1981 को विक्रय कर दी थी। जिसके वर्तमान ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 मे से 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज कर दिया जावे तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज फरमा दिया जावे इसमे हमे कोई आपत्ति नही है। विवादित भूमि पर खरीद के दिनांक से ही वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नही है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का दावा डिक्री फरमा दिया जावे। इसमे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी न. 3 लगायत 6 के अभिभाषक ने दावा डिक्री किये जाने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 23.5.1981 के अनुसार खातेदार श्रीचंद पुत्र गंगाविशन, किशनलाल व रामजीलाल पुत्र श्री मूल्या ने देवीराम पुत्र उदाराम को साबिक ख0न0 484 में 1 बीघा 9 विस्वा भूमि (1/4 हिस्सा) विक्रय की थी। नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध के अनुसार इसके ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 बने है जो नकल जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार छोटया पुत्र पाच्या हिस्सा 1/2, मूल्या पुत्र पांच्या हिस्सा 1/4 श्रीचंद पुत्र गंगाविशन हिस्सा 1/4 की खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण ने उनके पिता द्वारा खरीदी गई 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण को श्रीचंद पुत्र गंगाविशन के नाम दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने मे कोई आपत्ती नही है। अतः प्रस्तुत अभिलेख एवं राजीनामे के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(5)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं अभिलेख के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 ग्राम चूली के 1/4 हिस्से पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि मे श्रीचंद पुत्र गंगाविशन के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को हजफ किया जाकर 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/09 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सं.मा.)

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. नारायणलाल पुत्र देवीराम, रैगर, रैगर मोहल्ला, गंगापुर सिटी
2. अमुलाल पुत्र देवीराम, रैगर, रैगर मोहल्ला, गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री श्रीचन्द पत्नि नामालुम, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
2. रामप्यारी पत्नि स्व0श्रीचन्द, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
3. रामजीलाल पुत्र मूल्या, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
4. कंचन पत्नि स्व0 किशनलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
5. राजेन्द्र पुत्र स्व0 किशनलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
6. लाला पुत्र स्व0 किशनलाल, बैरवा, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –19/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं अभिलेख के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 752 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 757 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 764 रकबा 0.46 है0 कुल रकबा 1.33 है0 ग्राम चूली के 1/4 हिस्से पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि मे श्रीचंद पुत्र गंगाविशन के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को हजफ किया जाकर 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-18 को जारी किया गया ।

उप जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी